न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 185 / 2023

अनवान : –

1. श्योकरण पुत्र गाडूराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र गाडूराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. सुशील सरावग पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 6/8/2024

क्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 59 / 59 के खसरा न0 219 / 2 की 1.7200 हैक्ट, 264 की 0.6960 हैक्ट, 274 की 2.5290 हैक्ट, 275 / 1 की 4.8310 हैक्ट, 284 / 2 की 3.6170 हैक्ट कुल 13.3930 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। सायल ने अपने हक हिस्साा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। सायल की अच्छी भूमि देखकर गैरसायलान के मन मे लालच आ गया है एवं गैरसायलान अजनबी केतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 59 / 59 के खसरा न0 219 / 2 की 1.7200 हैक्ट, 264 की 0.6960 हैक्ट, 274 की 2.5290 हैक्ट, 275 / 1 की 4.8310 हैक्ट, [illegible] की 3.6170 हैक्ट कुल 13.3930 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आ[illegible]गण उक्त वाद भूमि के यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कि[illegible] गया। अप्रार्थी संख्[illegible] 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता को उक्त वाद भूमि अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ससुर से जरिये दानपत्र दिनांक 28.07.2023 को प्राप्त हुई है एवं प्रार्थी ने बिना वजह उत्तदाता के नामान्तरण को रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो की काबिल खारिज है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 59/59 के खसरा न0 219/2 की 1.7200 हैक्ट, 264 की 0.6960 हैक्ट, 274 की 2.5290 हैक्ट, 275/1 की 4.8310 हैक्ट, 284/2 की 3.6170 हैक्ट कुल 13.3930 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 5 व 6 का कथन है कि उक्त वाद भूमि उक्त वाद भूमि अपने ससुर से जरिये दानपत्र दिनांक 28.07.2023 को प्राप्त हुई है एवं प्रार्थी ने बिना वजह उत्तदाता के नामान्तरण को रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 31.07.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/8/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested